न्यायालय, अवर न्यायाधीश, प्रथम, पटना सिटी

T.S.-263/2019

29/07/2022	वादी तथा प्रतिवादी सं०—1, 4 की ओर से हाजरी दी गई है। प्रतिवादी सं०—1, 4 की ओर से नवीन वकालतनामा दाखिल किया गया है। प्रतिवादी सं०—1 से 8 की ओर से एक आवेदन—पत्र दाखिल किया गया है। वादी तथा प्रतिवादी सं०—1 से 8 के विद्वान अधिवक्ता वाद में उपस्थित हुए। वादी के विद्वान अधिवक्ता वाद को संचालित कर निवेदन करते है कि वे प्रतिवादी सं०—2, 3, 5, 6, 7, 8 दिनांक 04/04/2022 को वाद में पेपर प्रकाशन के वाद उपस्थित हुए है तथा लिखित कथन दाखिल नहीं किया है अत: प्रतिवादी सं०—2, 3, 5, 6, 7, 8 को लिखित कथन दाखिल करने से वंचित किया जाए। प्रतिवादी सं०—1 से 8 के विद्वान अधिवक्ता वाद को संचालित कर निवेदन करते है कि उनकी ओर से लिखित कथन दाखिल करने हेतु एक अवसर प्रदान किया जाए। वादी तथा प्रतिवादी सं०—1 से 8 के विद्वान अधिवक्ता का सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं०—2, 3, 5 से 8 को लिखित कथन दाखिल करने हेतु पर्याप्त समय दिया जा चुका है। फिर भी प्रतिवादी सं०—2, 3, 5 से 8 की ओर से लिखित कथन दाखिल नहीं किया है। चूंकि प्रतिवादी सं०—2, 3, 5 से 8 वाद में संघर्ष करना चाहते है अत: प्रतिवादी का आवेदन पत्र 2500/- खर्चे पर स्वीकृत किया जाता है कि अगली तिथि को लिखित कथन अवश्य दाखिल करें। खर्चे की राशि प्रतिवादी, वादी को उपलब्ध करावें। अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि प्रतिवादी सं०—1, 4, 9 के विरूद्ध तामिला सम्पुष्ट किया जा चुका है। लेकिन प्रतिवादी सं०—1 एवं 4 की ओर से नवीन वकालतनामा दाखिल किया है। फिर भी प्रतिवादी सं०—9 वाद में उपस्थित नहीं हुए है। अत: प्रतिवादी सं०—9 के विरूद्ध एकपक्षीय सुनवाई नियत की जाती है वाद दिनांक 14.9.22 वास्ते प्रस्तुत करें। अवर न्यायाधीश, प्रथम पटना सिटी